

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

१, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - ११०००१

आर्थिक सहायता अनुभाग

E.No-30(14)/WCD/FAS/V.S./2017-18

अता. प्रश्न संख्या - 403

दिनांक - 28.03.18

प्रश्नकर्ता का नाम - श्रीमती प्रमिला टोकस

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग का पता - 1 पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता (विधवा पेंशन) की योजना का इस वर्ष विस्तार किया गया था.	हाँ, यह सत्य है कि बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता (विधवा पेंशन) की योजना का इस वर्ष विस्तार किया गया है।
(ख)	यदि हाँ, तो विस्तार का व्यौरा अर्थात् लाभार्थियों की संख्या व पेंशन की राशि में वृद्धि की जानकारी दे;	इस वर्ष विधवा पेंशन की योजना में दो विस्तार किये गये : <ul style="list-style-type: none">• लाभार्थियों की आयु 18 से जीवनपर्यंत की गयी,• लाभार्थियों की पेंशन की राशि 1500/- से बढ़ाकर 2500/- की गयी। इस वर्ष लाभार्थियों की संख्या - 197999 (अधिसूचना संलग्न है)
(ग)	इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या क्या है, यदि यह संख्या लक्ष्य से कम है तो उसके क्या कारण है;	इस वर्ष लाभार्थियों की संख्या - 197999 आवेदकों की संख्या आवेदनों के अनुसार है।
(घ)	पिछले वर्ष 2016-17 व 2017-18 अब तक इस योजना के लाभार्थियों में से मृत्यु अथवा अन्य कारणों से कितने लाभ हटाए गए हैं, सम्पूर्ण विवरण तालिका बनाकर हटाए जाने के कारण सहित प्रदान करें;	2016-17 में 16807 व 2017-18 में 1154 लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। हटाए जाने के कारण निम्न है: <ul style="list-style-type: none">• मृत्यु के कारण,• पुनः विवाह,

Chand

		<ul style="list-style-type: none"> • एकाधिक पंजीकरण, • पता बदलने के कारण, • वित्तीय स्थिति में सुधार • दिए गए पते पर सत्यापित नहीं
(च)	वित्त वर्ष 2016-17 व 2017-18 अब तक इस योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, व इस अवधि में कितने नए नाम इसमें जोड़े गए,	वित्त वर्ष 2016-17 में 24608 व 2017-18 में 24573 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में 23363 नए नाम इसमें जोड़े गए व 2017-18 में 23765
(छ)	वर्ष 2017-18 में प्रत्येक महीने में पेंशन वितरण की तिथि/समय सरणी बताएं,	वर्ष 2017-18 पेंशन विवरण संलग्न है।
(ज)	यदि आवेदन आवश्यकता से अधिक आते हैं तो उनमें से चयन मानदंड क्या हैं, एक वर्ष में पेंशन आवेदन पर कार्यवाई करने और पेंशन देने की समयावधि क्या है;	चयन पत्रों की कोई आधारित सीमा नहीं है। मानक पूरा होने पर 2-3 महीनों में स्वीकृति दे दी जाती है।
(झ)	यदि कोई वास्तविक आवेदक आवेदनों के अधिकता के कारण पेंशन से वंचित रह जाता है तो उसके आवेदन क्या होता है, क्या इसे अगली बार के लिए विचाराधीन रखा जाता है,	उपर्युक्त के आधार पर लागू नहीं।
(ट)	विभाग के अनुमान के अनुसार रा.रा.क्षे दिल्ली में यूनिवर्सल कवरेज हेतु पात्र उम्मीदवारों की संख्या क्या है ;	विभाग द्वारा ऐसा कोई अनुमान नहीं किया गया है ।
(ठ)	आधार संबद्धता के आधार पर आज तक कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है, और ऐसे लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाता है;	186338 लाभार्थियों को आधार संबद्धता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है ।
(ड)	यदि कुछ लाभार्थियों को आधार संबद्धता के चलते भुगतान रोक दिया गया है तो कितनी अवधि तक और उनकी संख्या क्या है ;	11661 लाभार्थियों को 1500/- प्रति माह आधार संबद्धता ना होने के कारण भुगतान किया जा रहा है ।
(ढ)	लाभार्थियों व अन्य आवेदकों की पात्रता को भौतिक रूप से जांचने के लिए वार्षिक प्रक्रिया व समय सारिणी क्या है;	अधिसूचना के अनुसार से तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन करने का प्रावधान है, और यह भौतिक सत्यापन 2014 से 2016 तक किया गया था ।
(ण)	वर्ष 2016-17 व 2017-18 दौरान भौतिक रूप से जांच के दौरान कितने लाभार्थियों को अयोग्य पाया गया;	वर्ष 2016-2017 में 16807 लाभार्थियों को जांच के दौरान भौतिक रूप से अयोग्य पाया गया व 2017-18 में 1154 मामले नियमित कार्यों के दौरान भौतिक रूप से न पाए जाने

SL-9

		के कारण पेंशन रोक दी गई।
(त)	क्या ऐसे लाभार्थियों को हटाया गया और उनकी पेंशन को रोक दिया गया;	हाँ ।
(थ)	ऐसे मामलों में आवेदकों के विरुद्ध व विभाग के अन्दर क्या कार्यवाई की गई;	उन मामलों की पेंशन रोक दी गई थी।
(द)	लाभार्थियों व अन्य आवेदकों से शिकायत प्राप्त करने का तंत्र क्या है;	लाभार्थी स्वयं शिकायत पत्र जिला कार्यालय में, मुख्यालय में, आर . टी. आई के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं ।
(ध)	वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कितनों का निवारण हुआ है;	2016-17 में 191 तथा 2017-18 में 481 शिकायतें प्राप्त हुईं और 2016-17 में सभी का निवारण किया तथा 2017-18 472 शिकायतों का निवारण किया और 9 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं ।
(न)	इस योजना के बारे में और इसे लागू किये जाने के संबंध में कितनी आर टी आई विभाग द्वारा प्राप्त की गई;	इस योजना के बारे में और इसे लागू किये जाने के सम्बन्ध में 206 आर.टी.आई विभाग द्वारा प्राप्त की गई हैं ।
(प)	इनमें से कितनी आर टी आई का उत्तर दे दिया गया ;और	इनमें से सभी 206 आर. टी. आई. का उत्तर दे दिया गया है ।
(फ)	कितनी आर टी आई अपीलिय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई?	32 आर.टी.आई अपीलिय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई ।

2-8

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 348
No. 41]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938	[N.C.T.D. No. 348

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम संघो./09-10/35589-95.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से जीवनपर्यंत आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जायेगा।
- ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- (i) नियम 2 में —“आयु वर्ग 18 से 60 वर्ष” शब्दों के स्थान पर “आयु वर्ग 18 वर्ष से जीवनपर्यंत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।
(ii) नियम 4 में, उप-नियम (ii) में “उत्तरे परिवार” शब्दों के स्थान पर “आवेदक” शब्द तथा “60,000/-रुपये” शब्द के स्थान पर “1,00,000/-रुपये (सभी चोतों से)” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- नियम 5 का संशोधन— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि :-
(i) सभी नए आवेदकों को लाभ के हस्तांतरण के लिए आधार संख्या जमा करना एवं आधार संरक्षित खाता देना अत्यावश्यक होगा; हालांकि मौजूदा लाभार्थियों (निराश्रित महिला) को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अन्दर आधार संख्या/आधार संरक्षित बैंक खाता प्रदान करने की अनुमति दी जाती है जिसके न देने पर पेंशन रोक दी जाएगी।
- नियम 12 का संशोधन— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना 2010 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित है), नियम 5 (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि:-
(vi) निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांगता पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगी।

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2017/ फाल्गुन, 18, 1938	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 396
No. 87]	DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2017/PHALGUNA 18, 1938	[N.C.T.D. No. 396

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2017

सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम संशो./2016-17/39141-47.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निराश्रित महिला पेंशन योजना 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु समूह के नियम, 2010, दिल्ली राजपत्र द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम संशो./09-10/19874-884 दिनांक 26/11/2010 में सम्मिलित संशोधन सम्मिलित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम अमेंड/09-10/31767-777, दिनांक 31/03/2011
2. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम अमेंड/09-10/27017-027, दिनांक 01/11/2012
3. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम अमेंड/ 09-10/14624-636, दिनांक 27/08/2013
4. सं. फा. 41(22)/डीएसडब्ल्यू-डब्ल्यूसीडी/एफएस/स्कीम संशो./ 09-10/35589-95, दिनांक 03/02/2017

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 18 से जीवनपर्यंत आयु समूह की दिल्ली निराश्रित महिला पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 7 (1) में—शब्दों "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्दों "दो हजार पांच सौ" को प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. नियम 12 का संशोधन—निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है कि :—

(7) लाभ का विस्तार केवल उन्हीं लाभार्थियों तक होगा जो कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा आधार संरक्षित/जुड़े खाते में पेंशन प्राप्त करती हैं।

Datewise pension remitted for F. Y. 2017-18				
Sl No.	Date of Sanction	For the Month	No. of Cases	Total Amount Rs.
1	1-5-2017	March 2017	41871	6,28,06,500/-
2	15-5-2017	April 2017	134492	33,62,30,000/-
3	27-6-2017	May-June 17	144293	75,37,30,000/-
4	8-8-2017	July 2017	144160	36,63,62,000/-
5	28-8-2017	July 2017	10143	9,17,70,000/-
6	29-8-1017	July 2017 - ECS	19353	11,95,12,500/-
7	18-9-2017	August 2017	164332	41,92,32,500/-
8	19-9-2017	August 2017- ECS	15419	2,47,99,500/-
9	12-10-2017	September 2017	163779	40,94,47,500/-
10	15-11-2017	October 2017	172400	45,55,48,500/-
11	24-11-2017	October 2017	17022	5,63,59,500/-
12	6-12-2017	November 2017	177700	44,42,50,000/-
13	26-12-2017	November 2017	14534	3,54,91,000/-
14	8-1-2018	December 2017	181640	45,41,00,000/-
15	12-1-2018	November 2017- ECS	1936	90,74,500/-
16	25-1-2018	December 2017	14423	3,56,46,000/-
17	16-2-2018	January 2017	96010	24,00,25,000/-

- Bulk payment of ongoing cases is done in the 2nd week of every month
- Additional cases and correction/rectified cases are made payment in 3rd or 4th week of month.